न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 74/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/97

1. नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. पवन कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. इमानती देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुमन पुत्री रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. आनंद कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री सुभाष सहू	अभिभाषक अपीलांट
	श्री सत्यपाल सहू	
	श्री राजेश बैद	अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 14.02.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा माणकसर के खसरा नंबर 263 तादादी 7.843 हैक्टयर रकबा तहसीलदार सूरतगढ ने इंतकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 द्वारा कर्मचारी आवासीय (रेवन्यू) कॉलोनी हेतु नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त इंतकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 से व्यथित होकर रेस्पोन्डेट संख्या 1 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त अपील पर निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 11.11.2021 को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 263 तादादी 7.843 हैक्टयर भूमि की हद तक अपील को स्वीकार कर तहसीलदार सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सुभाष सहू एवं सत्यपाल सहू ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। विवादित कृषि भूमि तहसीलदार सूरतगढ़ के इन्तकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़ के नाज दर्ज की गई एवं नगर पालिका सूरतगढ़ द्वारा इस रकबा में आबादी विस्तार हेतु सड़को का निर्माण कर दिया गया है। विवादित भूमि की काश्त बाबत कोई लगातार गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 का ना तो मौके पर कब्जा काश्त है। अस्थाई आवंटन मात्र एक वर्ष हेतु किया जाता है जो सवतः ही नवीनीकरण के अभाव में खारिज हो जाता है। नवीनीकरण नहीं होने पर खारीज हो जाता है परन्तु नवीनीकरण नही होने के बावजूद 11 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही करना भी स्पष्टतः कब्जा नही होना इंगित करता है। जिसे बिना मौके पर रेस्पोडेन्टस के कब्जा काश्त की जांच किये अपीलांट के नाम से दर्ज भूमि का इंतकाल संख्या 111 निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.11.2021 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री राजेश बैद ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 263 तादादी 7.843 हैक्टयर रकबा के संबंध में तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 04 को बिना सुने दर्ज किया। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स नं. 2 के पति एवं 1 व 3 ता 4 के पिता रामस्वरूप पुत्र रामचंद्र बिश्नोई उक्त विवादित भूमि दिनांक 27.07.1982 को टी.सी आवंटन कर कब्जा दे दिया गया। जो आवंटन से लगातार रेस्पोडेंटस के कब्जे में है। वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 04 की कब्जे काश्त भूमि है जो बिना किसी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधार के नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हुई। उक्त वादगत भूमि कभी भी अपीलांटस को आंवटन नहीं हुई है। इसलिए अपीलांट को व्यथित पक्षकार के रूप में अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जावे एवं इंतकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 करे जैर अपील रकबे की हद तक इंतकाल निरस्त किया जावे।

5– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2021 उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 111 दिनांक 03.11.2011 में अंकित जैर अपील रकबा की हद तक इंतकाल निरस्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

6– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर